



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक 802 / 05 / 76 / एक / 2016-17

दिनांक 09 जून 2016

सेवा में

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद- वाराणसी।

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा डूडा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को बीएसयूपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	50100082677544	HSC Code HDFC 0000468	568.73

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के सपेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण				प्रेषित की जा रही धनराशि
			वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन	
वाराणसी / वाराणसी	अनु० 37 / 83 पीएलए	776/ 612	234.920	7.420	242.340	0.000	242.340
वाराणसी / वाराणसी	अनु० 37 / 83 पीएलए	1305/ 1167	318.230	8.160	326.390	0.000	326.390
	योग		553.150	15.580	568.730	0.000	568.73

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय बीएसयूपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पटित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी हानी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। उक्त परियोजना प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व डूडा द्वारा एमओयू कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- 2 मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3 इस मूल्यवृद्धि के बाद पुन किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी



144/02

दिनांक 27/08/14

27/8/14

नया संसदीय कानून 10 अंशक भाग लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अशदान सशोधित दसों पर डूडा द्वारा कार्यदायी सस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कार्यदायी सस्था द्वारा छोड दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसारा परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को डूडा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यू0एल0बी0) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1 परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद।
- 2 परि० प्रबन्धक सी० एण्ड डी० एस० निर्माण इकाई डूडा वाराणसी।
- 3 परियोजना अधिकारी-सूडा
- 4 कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

W